भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1578
गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

किसानों के लिए सौर ऊर्जा संचालित पंप

1578. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले': क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा देश के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा संचालित पंप प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में जिला-वार कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य के साथ-साथ योजना के घटक-ख और घटक-ग के तहत क्रमशः ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना और 15 लाख वर्तमान ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण करने की व्यवस्था है।

योजना के घटक-ख और घटक-ग के तहत बेंचमार्क लागत के 30% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में बेंचमार्क लागत का 50% तक सीएफए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को घटक-ख और घटक-ग के तहत हर एक पंपों के सौरीकरण के लिए कम-से-कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है।

योजना, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खुली है और दिनांक 31.03.2026 तक योजना की समय-सीमा का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, यह योजना मांग आधारित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। तद्नुसार, दिनांक 31.11.2022 तक, उत्तर प्रदेश को घटक-ख के तहत कुल 36842 स्टैंड-अलोन पंपों का आवंटन और घटक-ग के तहत चार लाख पंपों का फीडर स्तर पर सौरीकरण किया गया है। राज्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में घटक-ख के तहत 11389 स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना किए जाने की सूचना दी है।

*****